कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०– M-04/2021

धारा–107 द०प्र०सं०

जनक महतो वगैरह ....प्रथम पक्ष

बनाम

शिवधन महतो वगैरह ....द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	अभिलेख संख्या–एम०–04/2021 में द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत थाना प्रभारी सोनाहातु (राहे) के अप्राथमिकी सं०–21/20 दिनांक–30-12-2020 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि जमीन को लेकर उभय पक्ष में विवाद है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं सत्यम कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000(पचास हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 01/02/2021 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) 19/1/21 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) (हस्ताक्षर) 19/1/21 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... कार्रवाई एव... तारीख सहित
16-08-21	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अधिवक्ता हाजरी दी गई। वाद में वैधानिक समय सीमा 06 माह पूर्व हो चुका है अर्थात कालबाधित हो गया है अतः वाद में अभिलेख की कार्यवाही को बंद की जाती है। 16/8/21 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (राँची)	

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2022.02.11 12:54:31 +05:30
Location: 10.93.79.5